

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 173 वर्ष 2024

आवेदक- पुनिया देवी

केता- शांति देवी

ग्राम- मुंगोरंगामाटी

ग्राम- मुंगोरंगामाटी

थाना- पेंक नारायणपुर

जिला-बोकारो

थाना- पेंक नारायणपुर

जिला-बोकारो

आदेश की क०सं०
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर क
कार्रवाई के
टिप्पणी तारी
03

02/11/2025

आदेश

यह वाद आवेदक-पुनिया देवी पति-स्व० बेनी महतो वर्तमान निवास ग्राम-मुंगोरंगामाटी, पो०+थाना-पेंक नारायणपुर, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
मुंगोरंगामाटी	02	13	65	1.22 ए०	09 डी०	रैयती टांड II वर्तमान स्वरूप परती

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये में केता-शांति देवी पति-लीलो महतो वर्तमान निवास ग्राम-मुंगोरंगामाटी, पो०+थाना-पेंक नारायणपुर, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1114/रा०, दिनांक 09.10.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी नावाडीह से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी नावाडीह के पत्रांक-687, दिनांक-28.12.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं केता दोनों कुरमी जाति के सदस्य हैं जो पिछडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में लीलु महतो पिता देव राम महतो के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं० 40/1 में सोमर महतो वगै० के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध दादा ससुर का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में है।
04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में लीलु महतो पिता देव राम महतो के नाम से दर्ज है तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं० 40/1 में सोमर महतो वगै० के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन का देखा है। उक्त जमीन कोई विवाद नही तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे:-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो बिक्रेता को टाईटल सूट केश नं० 1205/68 से डिग्री प्राप्त है तथा हासिल है जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-पुनिया देवी पति-स्व० बेनी महतो वर्तमान निवास ग्राम-मुंगोरंगामाटी, पो०-थाना-पेंक नारायणपुर, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट सं०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उ० सीमा	द० सीमा	पू० सीमा	प० सीमा
मुंगोरंगामाटी 02	13	65	1.22 ए०	09 डी०	फुलचन्द महतो	प्रितम महतो	रास्ता	नीज लेख्यकारिणी वाके है
कुल				09 डी० (नौ डिसमिल जमीन मात्र)				

मो० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-शांति देवी पति-लीलो महतो वर्तमान निवास ग्राम-मुंगोरंगामाटी, पो०-थाना-पेंक नारायणपुर, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)।